न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई ए एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2023

प्रविष्टि दिनांक 03.01.2023

जरिये रामभजन मीना,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 दादूदयाल नमकीन भण्डार वनस्थली मोड निवाई टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
2— अप्रार्थी — स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मै. दादूदयाल नमकीन भण्डार, वनस्थली मोड, निवाई टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई / नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 6 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई / नमकीन बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। उक्त 6 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 मे)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	123233T	HP	14.2	16.0	20.2	4.2
2	039918 I	HP	14.2	15.9	23.0	7.1
3	234471 B	HP	14.2	15.7	15.8	0.1
4	140984 S	HP	14.2	15.8	15.8	0
5	175972 S	IOC	14.2	15.5	15.5	0
6	652332 J	IOC	14.2	15.7	15.7	0
						11.4

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.4 KG एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 19.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मै. दादूदयाल नमकीन भण्डार, वनस्थली मोड, निवाई टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 6 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 6 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु प्रतीक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण यादव पुत्र रामानंद यादव की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित

कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 6 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 11.4 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक